

परियोजना का नाम:— जनपद देहरादून के ग्राम अजबपुर कलां अन्तर्गत देवांचल विहार में नलकूप निर्माण हेतु अपेक्षित $(6.00 \times 5.00 = 30.00$ वर्ग मी० अर्थात् 0.0030 है० (ग्राम समाजों में निहित, जंगल वन विभाग) भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

लीज अवधि का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि 15 वर्षों की लीज पर ली जा रही है।



प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशाली अभियन्ता
यांत्रिक शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
देहरादून